



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section(i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 180}

नई दिल्ली ,बुधवार,अप्रैल 11, 2007 /चैत्र 21,1929

No,180}

NEW DELHI,WEDNESDAY,APRIL11,2007,CHAITRA 21,1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,11 अप्रैल,2007

रग.का.मि.285(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं.आ. 299”

अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़,झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य)आदेश, 2003 को, जहां तक इसका संबंध झारखंड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से है, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनःपरिभाषित किया जाता है:-



झारखंड

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहार जिला
6. पूर्वि-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया बलॉक
15. गोड्डा जिला-सुंदरपहाड़ी और बौरीजोर बलॉक

स्पटीकरण :- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त क्षेत्र वही हैं, चाहे उन्हे किसी नाम से पुकारा जाए, जी सं. आ. 109 {अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977}तारीख 31 दिसम्बर,1977 द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य के भाग के रूप में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित किए हैं।

3. पूर्ववर्ती पैरा में प्रादेशिक खंड, उसे चाहे किसी नाम से उपदर्शित किया गया हो, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारंभ पर उस नाम से विद्यमान प्रादेशिक खंड के प्रतिनिर्देश हैं।

-----ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

{ फा. सं. 19(8)/2006-वि.।}
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव



**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2007

G.S.R. 285 (E)-The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.229”

The Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007

In exercise at the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003 in so far as it relates to the areas now comprised in the State of Jharkhand and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely:-

1. (1) Thus Order may be called the Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007.
(2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Jharkhand:-

JHARKHAND

- 1) Ranchi District
- 2) Lohardagga District
- 3) Gumla District
- 4) Simdega District
- 5) Latehar District
- 6) East-Singhbhum District
- 7) West-Singhbhum District
- 8) Saraikela-Kharsawan District
- 9) Sahebganj District
- 10) Dumka District
- 11) Pakur District
- 12) Jamtara District
- 13) Palamu District-Rabda and Bakoriya Panchayats of Satbarwa Block
- 14) Godda District-Sunderpahari and Boarijor Blocks.



Explanation-For the removal of doubts, it is hereby declared that the said areas are the same, by whatever name called, as were notified as Scheduled Areas as part of the erstwhile State of Bihar vide C.O.109 [the Scheduled Area (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977.

3. Any reference in the preceding paragraph to the territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

A.P.J.ABDUL KALAM,
President

[F.No 19(8)/2006-1]
K.N.CHATURVEDI,Secy.